168

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

सं0 सं0– स्वा0/औषधि/EM-25/2011-717(D) /स्वा0 राँची, दिनांक–22/12/2011

विभागीय संकल्प सं0 9/विविध–5–28/2008–153(प0क0) दिनांक 09 जून 2004 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य औषधि नीति की कंडिका 5.1 में निहित प्रावधानों के अधीन झारखण्ड राज्य के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों में प्रयोग हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 12–01/Essential Medicines/08-DC/DFQC दिनांक 08.06.2011 द्वारा प्राप्त आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची, 2011 (National list of essential medicines- 2011), जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, को हू–ब–हू (as it is) अंगीकृत किया जाता है। सूची को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाईट– http://mohfw.nic.in/ तथा सेन्ट्रल ड्रग्स स्टेन्डर्ड कन्ट्रोल ऑर्गनाईजेशन के वेबसाईट http://www.cdsco.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है।

2. आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची--2011 में कुल 348 औषधियों का नाम 27 खण्डों में अंकित हैं जिनका उपयोग मानक उपचार मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार केवल जातीय नाम (Generic names) से किया जाय। इन औषधियों की सूची देवनागरी लिपि में भी संलग्न किया गया है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक--स्वा0/औषधि/EM-25/2011-717(D) /स्वा0,राँची दिनांक-22/12/2011

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा रॉची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अनुलग्नक के साथ अग्रसारित।

21/12/11

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक--स्वा0/औषधि/EM-25/2011-717(D) /स्वा0,राँची दिनांक-22/12/2011

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/औषधि नियंत्रण निदेशालय, झारखण्ड/खाद्य नियंत्रण निदेशालय, झारखण्ड/निदेशक, रिम्स, राँची/ निदेशक, रिनपास कॉके, राँची/ अधीक्षक, एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर/ अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद/ अधीक्षक, सभी सदर अस्पताल/ सभी सिविल सर्जन, /सभी उपाधीक्षक, अनुमण्डलीय अस्पताल/अधीक्षक, इटकी आरोग्यशाला, इटकी/ सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/11

(के0 विद्यासागर)
सरकार के प्रधान सचिव